आवश्यक सूचना

दिनांक: 01 / 07 / 2015

एस0आर0 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स एवं एस0आर0 कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, झाँसी में अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के पात्र छात्र/छात्राओं को जो **जिला समाज कल्याण विभाग, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग** से प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति सहायता के लिये आवेदन करना चाहते है एवं जिनके अभिभावक की समस्त स्रोतो से आय रु0 2 लाख से कम हो ऐसे समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति फार्म भरने की लिंक दिनांक **01 / 07 / 2015** से खुल चुकी है। अतः उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाईन कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रथम बार आवेदन करने वाले छात्र/छात्रायें नया रजिस्ट्रेशन कर आवेदन पत्र ऑनलाईन भरेंगे। सभी सम्बंधित छात्र/छात्रायें उक्त ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया संस्थान की कम्प्यूटर लैब में संस्थान की फैकल्टी/स्टॉफ की मदद से कर सकते हैं।

इसी क्रम में समस्त पाठ्यक्रमों (बी0टेक0, बी0फार्म0, एम0टेक0, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, डिप्लोमा पॉलीटैक्निक, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं बी0एस0सी0 बायोटैक्नोलॉजी) के द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम वर्ष के पुराने छात्र जिन्होने गत वर्ष आवेदन किया था, उन्हे नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नही है, उन्हें अपने पुराने रजिस्ट्रेशन संख्या का प्रयोग कर नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा।

इसी क्रम में **नवीनीकरण एवं नया आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संस्थान में हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों के साथ दिनांक 15 / 07 / 2015 तक जमा करना अनिवार्य है।** अन्यथा उनका ऑनलाईन आवेदन फार्म संस्थान से समाज कल्याण विभाग अग्रसारित **(Forward)** नही किया जा सकेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा।

फार्म के साथ नीचे दिये जा रहे प्रपत्रों की (छायाप्रति) क्रमानुसार संलग्न करें :–

A. आधार कार्ड (अनिवार्य) B. आय प्रमाण पत्र C. जाति प्रमाण पत्र D. निवास प्रमाण पत्र
E. पहचान पत्र **F.** बैंक खाता पासबुक **G.** हाईस्कूल एवं अन्तिम मार्कशीट।
H. जमा फीस रसीद **I.** रु0 10 के स्टाम्प पर गैप सर्टीफिकेट मूल प्रति (अगर लागू हो तो)
J. रु0 10 के स्टाम्प पर आय सम्बन्धी शपथ जो पिता की तरफ से देय होगा (मूलप्रति में)।

नोट :– 1. छात्रों के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उ0प्र0 राजस्व परिषद की बेव साइट पर अपलोड होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थति में आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।
2. शासन से इस वर्ष आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, इसलिए आधार कार्ड के बिना फार्म भरना सम्भव नही हो सकेगा।

Manish
(मनीष मिश्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. ग्रुप डायरेक्टर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. एसो0 डायरेक्टर, को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि वह इस सूचना को अपने विभाग की समस्त कक्षाओं में छात्रों को सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
4. कोआर्डिनेटर प्रथम वर्ष को इस आशय के साथ कि वे इस सूचना से प्रत्यके कक्षा समस्त छात्र/छात्राओं को अवगत करायें।
5. छात्रावास अधीक्षक को इस आशय के साथ कि वे इस सूचना से समस्त छात्रावासों में छात्रों को अवगत करायें एवं सूचना पट पर चस्पा करायें।

1/7/2015